

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 42/2020 राजस्व अपील

1. रामकिशोर पुत्र श्री रामपाल जाति माली निवासी ग्राम गढ तहसील सिकराय जिला दौसा।

अपीलान्ट

बनाम

1. राज. सरकार जरिये उप तहसीलदार बहरावण्डा तहसील सिकराय जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 21.08.2018 न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा तहसील सिकराय प्रकरण उनवानी सरकार बनाम रामकिशोर मु. नं. 74/18 अ. धारा 91 एल. आर. एक्ट

उपस्थिति : श्री मक्खन शर्मा अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।

: पैराकार सरकार उपस्थित।

—: निर्णय :-

दिनांक: 11.03.2020

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट के विरुद्ध पटवारी हल्का ग्राम गढ द्वारा एक रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा के समक्ष इस आशय की पेश की गई कि अपीलान्ट ने सम्वत 2075 में आराजी खसरा नं. 784/746 रकबा 0.02 है. किस्म चरागाह पर अतिक्रमण कर लिया है। पटवारी हल्का की उक्त रिपोर्ट के आधार पर ही अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा ने अपीलान्ट को बिना कोई सुनवाई का अवसर दिये बिना ही दिनांक 21.08.2018 को निर्णय पारित कर अपीलान्ट को 90 दिवस के सिविल कारावास व पेनल्टी की सजा से दण्डित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा के उक्त आदेश दिनांक 21.08.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय विधि विधान एवं न्याय की सामान्य प्रक्रियाओं के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सही प्रकार से विवेचन नहीं किया है। अपीलान्ट को सुनवाई का कोई मौका नहीं दिया गया है। मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर ही निर्णय किया गया है। अपीलान्ट को पटवारी हल्का से जिरह का अवसर भी नहीं दिया गया



11.03.2020  
जिला कलेक्टर  
दौसा

है। अधिवक्ता अपीलान्त द्वारा अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा के निर्णय दिनांक 21.08.2018 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम रामकिशोर मु. नं. 74 / 2018 को निरस्त फरमाने का निवेदन किया गया।

जवाब बहस के दौरान पैरोकार सरकार ने निवेदन किया कि अपीलान्त ने संवत 2075 में ग्राम गढ तहसील सिकराय में स्थित भूमि खसरा नम्बर 784 / 746 रकबा 0.02 है. पर आवासीय झोंपडी व पडत कब्जा कर अतिक्रमण कर लिया है। अपीलान्त अतिक्रमी के विरुद्ध भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्त अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 21.08.2018 को बेदखल करने एवं शारित आरोपित करने के साथ ही तीन माह (90 दिवस) के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्त पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। पैरोकार सरकार द्वारा अपील अपीलान्त खारिज फरमायी जाकर उप तहसीलदार बहरावण्डा के निर्णय दिनांक 21.08.2018 को यथावत रखने का निवेदन किया गया।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को विधिवत नोटिस जारी कर सुनवाई, साक्ष्य, सबूत एवं जिरह का अवसर दिया जाकर ही प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्त ने 2075 में ग्राम गढ तहसील सिकराय में स्थित भूमि खसरा नम्बर 784 / 746 रकबा 0.02 है. पर आवासीय झोंपडी व पडत कब्जा कर अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्त पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। ऐसी स्थिति में हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय दिनांक 21.08.2018 में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। मुकदमा नम्बर 74 / 2018 उनवानी सरकार बनाम रामकिशोर में अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.08.2018 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फाइल शुमार होकर प्रविष्ट लेख भण्डार हो।



निर्णय आज दिनांक 11.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोकेश कुमार मीना)

अति० जिला कलेक्टर, दौसा

(लोकेश कुमार मीना)

अति० जिला कलेक्टर, दौसा

अति० जिला कलेक्टर  
दौसा